न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 144/2020
जी.सी..एम.एस.पोर्टल नम्बर–2020/00184

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
अरविन्दसिंह पुत्र बोदूसिंह जाति राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम चाऊ तहसील व जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भूराराम बिकुनिया।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन)श्री रामावतार पूनिया।

निर्णय **दिनांक–07-01-2021**

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 77/2020 राजस्थान सरकार बनाम अरविन्दसिंह उ.मू.दु. चाउ तहसील नागौर में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2020 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट जरिये प्राधिकार पत्र संख्या–1323/दिनांक 28.02.2017 से गांव चाउ में उचित मूल्य दुकान (एफ.पी.एस.) कोड नम्बर 30042 के जरिये कार्यरत रहा है तथा अपीलान्ट ने सदैव पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुसार उचित मूल्य दुकान का संचालन करता रहा है। कालान्तर में दिनांक 11.06.2020 व 17.06.2020 को सुरजाराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी ग्राम सुराणा ने अपीलान्ट के विरूद्ध बढ़ा चढ़ा कर गलत रूप से तथ्यों का समावेश करते हुए शिकायत पेश की जिस पर कार्यालय जिला रसद अधिकारी नागौर में विभागीय प्रकरण संख्या 77/2020 दर्ज किया जाकर कार्यालय के पत्रांक–1194, 1195, 1197 दिनांक 26.06.2020 द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सुश्री दिव्या विश्नोई से जॉच करवाई गयी, प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत की जिसमें निम्न तथ्य पाये जाना बताया– 1–डीलर के पिता बोदूसिंह सरकारी व्याख्याता के पद पर कार्यरत होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ा हुआ पाया गया उनके द्वारा दिनांक 26.07.2016 से दिनांक 06.11.2019 तक 570 किलोग्राम राशन सामग्री प्राप्त की गई, डिलर को जानकारी होते हुए भी गेहूं वितरण किया गया। 2–डिलर के दादा समन्दरसिंह का निधन जुलाई 2017 में हो गया लेकिन डीलर द्वारा दिनांक 26.07.2016 से दिनांक 19.06.2020 तक गेहूं वितरण किया उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं हटाया गया। 3–डीलर के [illegible] वीरसिंह का पुत्र सरकारी सेवा में होने के बावजूद डीलर द्वारा खाद्य सुरक्षा [illegible] 2016 से दिनांक 29.06.2020 तक गेहूं 1470 किलोग्राम एवं दाल 3 किलोग्राम वितरण किया पाया गया, डीलर के संज्ञान में होने के बावजूद भी डिलर द्वारा सरकारी कर्मचारी के नाम हटाने हेतु प्रेरित नहीं किया बल्कि अनावश्यक लाभ दिया गया। 4–डीलर को प्रपत्र अ. जमा करवाने हेतु बार–बार अवगत करवाने के बावजूद भी डिलर द्वारा उक्त प्रपत्र जमा नहीं करवाया गया। 5–डीलर द्वारा राशनकार्डो में मृतक युनिट/विवाहित यूनिट हटाने के सम्बन्ध में भी बार बार सूचना चाहने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

पर भी सूचना नहीं भिजवाई। तत्पश्चात रसद अधिकारी नागौर के कार्यालय पत्रांक—रसद / अभि. / 2020 / 1237 / दिनांक 06.07.2020 का कारण बताओ नोटिस अपीलांट को जारी किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर उसमें दर्ज निर्धारित पेशी दिनांक 07.08.2020 को अपीलांट / डीलर ने लिखित जवाब / स्पष्टीकरण पेश किया। तत्पश्चात् जिला रसद अधिकारी ने अपीलाट / डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब को सरकारी तौर पर अस्वीकार कर यह माना कि डीलर अपना पक्ष संतोषपूर्ण तरीके से प्रमाणित नहीं कर सका, डीलर का आचरण सदभावनापूर्ण नहीं रहा है राशन सामग्री का दुरूपयोग किया है इस कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 पद्वत शक्तियो का प्रयोग करते हुए राशन डीलर अरविन्दसिंह का उचित मूल्य दुकान चाउ का जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने व डीलर द्वारा जमा करवाई गयी समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का निर्णय दिनांक 24.09.2020 को अपीलांट / डीलर को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में पारित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 24.09.2020 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2(1)—निर्णय जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों, तथ्यों, परिस्थितियों के विपरीत पारित किया होने से प्रथम दृष्ट्या निरस्त / संशोधित किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस अधिकारी द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बना कर पेश किया जाता है उसके संबंध में डीलर की पूर्ण सुनवाई की जाना व डीलर को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व कोरोना वायरस महामारी के दौर में इतनी जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय किया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुए भी इन सभी को नजर अंदाज करते हुए विद्वान जिला रसद अधिकारी ने निर्णय जैर अपील एकतरफा में पारित किया है जो विधि सम्मत व पारदर्शितापूर्ण नहीं होने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर की होने से निर्णय जैर अपील विधि सम्मत निर्णय नहीं है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

2(2)—अपीलांट ने जानबूझ कर किसी प्रकार की कोई गलती या अनियमितता नहीं की है जिस तरह से पूर्व से राशन सामग्री वितरण की जा रही थी, उसी अनुसार वितरण व्यवस्था सुचारू बनाई रखी थी तथा इस संबंध में अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी को नोटिस का जवाब पेश कर स्पष्ट कर दिया था कि जिस समय अपीलांट को प्राधिकार पत्र जारी किया उस समय डीलर को केवल यही दिशा निर्देश दिया गया कि पोश मशीन के आधार पर ही राशन वितरण करना है इसके अलावा डीलर के दायित्व, कार्य करने के तरीके सम्बन्धी कोई अतिरिक्त जानकारी या प्रशिक्षण नहीं दिया गया था इस कारण किसी नियम विशेष का अपीलांट ने जानबूझ कर उल्लंघन या अनदेखी नहीं की थी। तथाकथित तीनों राशनकार्ड 2016 से ही खाद्य सुरक्षा योजना से जुडे हुऐ थे, अपीलांट को प्राधिकार पत्र ही सन 2017 में प्रदान किया गया था, उससे पहले वाला डीलर भी इन कार्डो को राशन वितरण कर रहा था इस कारण उसी क्रम में अपीलांट वितरण करता था, इसमें अपीलांट की कोई जानबूझ कर सआशय गलती होना नहीं माना जा सकता है इसके बावजूद विद्वान अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने इन बिन्दुओं के संबंध में गहराई से विवेचन, विश्लेषण मनन किये बिना ही उनको नहीं मान कर निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष लिखित स्पष्टीकरण पेश कर यह भी निवेदन किया था कि दिसम्बर 2019 से जुन 2020 तक राशन कार्ड संख्या 008282800521 राशन के लिए प्रस्तुत नहीं किया तो अपीलांट ने भी राशन [illegible] नहीं किया। प्राधिकार पत्र में वर्णित निबंधन एंव शर्ते (सामान्य) बिन्दु सं. 2 के अनुसार कोई भी राशनकार्ड धारक किसी उपभोक्ता के द्वारा मांगे जाने पर बकाया सीमा तक खाद्यान्न [illegible] देने से इन्कार नहीं करेगा। कोई भी डीलर अपने स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुडे व्यक्ति को राशन वितरण से मना नहीं कर सकता और इस योजना से नहीं जुडे व्यक्ति को राशन वितरण भी नहीं कर सकता। राशनकार्डो को खाद्य सुरक्षा में जोडना, हटाना उपखण्ड अधिकारी व जिला रसद अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए खाद्य सुरक्षा से जुडे राशन धारक को राशन देकर अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:16 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

ने सआशय कोई गलती नहीं की थी बल्कि विभाग के ही दिशा निर्देशों का ही पालन किया था। इसके अलावा अपीलांट स्वंय ने जिला रसद अधिकारी नागौर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रपत्र अ, जमा करवाया है जिसमें भी बोदूसिंह के सरकारी कर्मचारी होने की जानकारी दी गई है तत्पश्चात् जो भी राशन सामग्री गलती से किसी राशनकार्ड धारी ने प्राप्त कर ली थी तो उसकी सम्पूर्ण राशि भी नियमानुसार जमा करवा दी गयी थी, ऐसी स्थिति में नर्मी का रूख अपनाते हुए अपीलांट को विशेष हिदायत देकर प्राधिकार पत्र बहाल करना आवश्यक व न्याय संगत होते हुए भी प्राधिकार पत्र निरस्त करने का निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है जिसमें निर्णय जैर अपील अपास्त / संशोधित किये जाने योग्य है।

2(3)–रसद विभाग द्वारा समय–समय पर जो सूचनाऐं मांगी गई है वो अपीलांट ने यथाःसमय प्रस्तुत की है। इसी क्रम में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा चाही गई सूचना के तहत 14 मई 2020 को उनके वाट्सऐप पर भी सूचना दी गई जिसमें भी बोदूसिंह के सरकारी कर्मचारी होने का विवरण है। इस प्रकार अपीलांट ने जानबूझ कर कोई अनियमितताऐं नहीं की थी फिर भी यह नम्र निवेदन किया कि यदि उसके द्वारा अज्ञानतावश या नियमों की जानकारी के अभाव में कोई अनियमितताऐं हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी द्वारा विशाल ह्दयता एंव सहानुभूति पूर्वक विचार कर इस कारोना महामारी के संकट समय में अपीलांट बेराजगार का प्राधिकार पत्र बहाल कर उसके परिवार को आर्थिक तंगी से उभारने हेतु विशेष शर्त के साथ उसका प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था, लेकिन कठोर रूख अपनाते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने के कारण निर्णय जैर अपील में हस्तक्षेप कर उसे निरस्त / अपास्त / संशोधित किया जाना न्याय संगत है। अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

2(4)–अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की कोई भी शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है केवल मात्र पुरानी अदावत के कारण तंग परेशान करने हेतु मिथ्या शिकायत की है अन्य किसी स्वतंत्र उपभोक्ता की कोई शिकायत अपीलांट के विरूद्ध नहीं रही है सभी को समय पर राशन सामग्री वितरण होती रही है अपीलांट अपने पिता व चाचा से अलग परिवार में रहता है और उनके राशनकार्डो के जरिये राशन सामग्री वितरण करने में कोई छोटी बड़ी त्रुटि हो गयी तो केवल मात्र अज्ञानतावश हुई है जानबूझ कर कोई अनियमितता नहीं की गयी थी। इस प्रकार डीलर ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की थी न ही पूर्व की कोई शिकायत उसके विरूद्ध रही थी। ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील अपास्त / निरस्त / संशोधित किये जाने योग्य है।

2(5)–अपीलांट / डीलर ने इस तरह की वैश्विक महामारी के दौर में भी अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए समय–समय पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई है इसके बावजूद इस दौर में डीलर का प्राधिकार पत्र आनन फानन में निरस्त करने से डीलर के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है डीलर के विरूद्ध कथित परिवादी ने तथाकथित शिकायत गलत आधारों पर दर्ज करवाकर बेवजह तंग **परेशान किया जा रहा है व येन केन प्रकारेण** प्राधिकार पत्र निरस्त करवा कर अपीलांट को बेरोजगार कर **परेशान करने की बदनियति से** मिथ्या शिकायत पेश की गयी है तथा **जिला रसद अधिकारी नागौर ने डीलर को पूर्ण सुनवाई व** साक्ष्य का अवसर भी नहीं दिया गया है **निर्णय में अनुपस्थित बताया गया है एकतरफा निर्णय** पारित किया है डीलर से यदि **साक्ष्य** ली **जाती तो** ऐसा आदेश **कतई पारित नहीं हो** सकता था, ऐसी स्थिति में डीलर **से जवाब व साक्ष्य आदि** ली जाकर **निर्णय में आवश्यक संशोधन** करते हुए रिव्यु के तहत् **पत्रावली पुनः रिओपन की** जाना **आवश्यक व विधि सम्मत है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:16 IST
Reason: SelfAttested

2(6)–अप्रार्थी / डीलर बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालना पोषण की जिम्मेवारी उसी पर है तथा अप्रार्थी / डीलर नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है अप्रार्थी / डीलर ने रसद अधिकारी के मौखिक आदेश व कोविड–19 के चलते सरकारी आदेशो की हमेशा पालना की है ऐसी स्थिति में कोविड–19 के चलते इस तरह का कठोर निर्णय पारित करना कतई न्याय संगत नहीं है। गांव के स्वतंत्र उपभोक्ताओं के बयान भी नहीं लिये गये है यदि बयान आदि लिये जाते तो भी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती तथा जो राशन कार्ड ऑन लाईन थे उन्ही को सामग्री वितरण की गयी है तथा खाद्य सुरक्षा से जुडे हुए व कार्डधारियों को ही वितरण किया जाना डीलर का कर्तव्य है खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने का अधिकार डीलर को कतई नहीं है इस संबंध में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत था व है इसका निर्णय में खुलासा विवेचन विश्लेषण नहीं किया है। उपरोक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि अपीलांट निर्दोष है उसके विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अपीलांट को जारी उक्त प्राधिकार पत्र के बाद में अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता / सरपंच या अन्य नागरिक की नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपीलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमों का उल्लंघन किया गया हो। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनों की पालना करते हुए विधिनुसार कार्य किया जाता रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं था, अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा था, इस कोविड–19 वैश्विक महामारी के इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित नहीं करके अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यक हो तो आईन्दा ऐसी शिकायत नहीं होने बाबत बंधपत्र या अण्डरटेकिंग / शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था व है मगर ऐसा नहीं करके सरसरी आधारो पर एकतरफा कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में जिला रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील संशोधित / परिवर्तित / निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जावेगी उनकी अपीलांट अक्षरशः पालना करने को तैयार होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 77 / 2020 राजस्थान सरकार बनाम अरविन्दसिंह में पारित आदेश / निर्णय जैर अपील दिनांक 24.09.2020 को अपास्त / संशोधित / निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने की आज्ञा / आदेश / व्यवस्था करने एंव अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांट हो प्रदान करने का निवेदन किया।

3. प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश पर दिव्या विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक नागौर द्वारा दिनांक 04.07.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान चाउ पर पहूंचकर जॉच की जाकर दिनांक 06.07.2020 को जॉच रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस पत्रांक–1237 दिनांक 06.07.2020 को जारी किया, जिस पर अपीलान्ट ने 07.08.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त कारण बताओं नोटिस के संबंध में जबाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया एवं अपीलान्ट द्वारा जमा करवाई गई समस्त **प्रतिभूति** राशि जब्त सरकार की गई है।

3(1)–अपीलान्ट अपीलान्ट के पिता श्री बोदूसिंह सरकारी कर्मचारी के पद पर **कार्यरत होते हुए भी** उनका खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ा हुआ पाया गया **एवं उनके द्वारा दिनांक 26.07.2016** से 06.11.2019 तक [illegible] **सामग्री** प्राप्त की गई। **जो अपीलान्ट की जानकारी में होने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा अपने पिता का नाम खाद्य सुरक्षा से नहीं हटाया तथा गेहूँ वितरण किया। उक्त आरोप के संबंध में अपीलान्ट ने अपने जबाब में बताया तीनो राशन कार्ड 2016 से ही खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुऐ था जबकि**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:16 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट को प्राधिकार पत्र 2017 में प्रदान किया गया। अपीलान्ट से पहले वाला डीलर भी इन कार्डों का राशन वितरण कर रहा था। अपीलान्ट भी नियमों की स्पष्ट जानकारी के अभाव में उसी आधार पर राशन वितरण करते रहने का अपीलान्ट ने कथन किया। इस सबंध में जिला रसद कार्यालय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से समय–समय पर सभी राशन डीलरों को निर्देश दिये गये थे कि जिस सरकारी कर्मचारी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ा हुआ है उस उपभोक्ता को राशन वितरण नहीं किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट का पिता ही स्वंय कर्मचारी है फिर भी अपीलान्ट ने जानबूझकर इस तथ्य को नजर अंदाज कर सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने पिता को राशन सामग्री वितरित की। अपीलान्ट का कथन कि उसे नियमों की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट राशन डीलर है तथा वर्ष 2017 से कार्य कर रहा है, ऐसे में अपीलान्ट का उक्त कथन कि उसे नियमों की जानकारी नहीं थी, कतई विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नियम अथवा कानून के प्रावधानों की जानकारी नहीं होने का कथन कर किसी कानून अथवा नियम विरूद्ध किये गये किसी कृत्य से नहीं बच सकता है। इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त आरोप के संबंध में किया गया कथन एवं जबाब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

3(2)–अपीलान्ट के दादाजी श्री समन्दरसिंह पुत्र श्री देवीसिंह का निधन जुलाई 2017 में हो गया लेकिन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.07.2016 से 19.06.2020 तक गेहूँ का वितरण किया जा रहा था। अपीलान्ट की जानकारी में होने बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा अपने दादा का नाम खाद्य सुरक्षा से निधन होने के बाद भी नहीं हटाया तथा गेहूँ का दुरूपयोग किया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में कथन किया राशन कार्ड संख्या–008282800521 राशन के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया गया तो मैने भी राशन वितरण नहीं किया। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि रिकार्ड अनुसार जुलाई 2016 से जून 2020 तक राशन सामग्री का वितरण किया जाना पाया गया है, इसलिए अपीलान्ट का कथन कि उसके द्वारा समन्दरसिंह के राशन कार्ड पर दिसम्बर 2019 से जून 2020 तक राशन वितरण नहीं किया। इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त आरोप के संबंध में किया गया कथन एवं जबाब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

3(3)–अपीलान्ट ने अपने सगे चाचा श्री रणवीरसिंह का पुत्र सरकारी सेवा में होने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा में दिनांक 16.07.2016 से 29.06.200 तक गेहूँ 1470 किलोग्राम एवं दाल 3 किलोग्राम वितरण करना पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में कथन किया कि प्राधिकार पत्र में वर्णित निबंधन एवं शर्ते (सामान्य) बिन्दु सं0–2 के अनुसार कोई भी प्राधिकार धारक किसी उपभोक्ता के द्वारा मांगे जाने पर बकाया सीमा तक खाद्य पदार्थ देने से इंकार नहीं करेगा। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी ने अपनी गलती छिपाने के लिए नियम की गलत व्याख्या की गई है, जबकि उपभोक्ता का कोई बकाया राशन नहीं था। अपीलान्ट को यह जानकारी होते हुए भी कि सरकारी कार्मिक को राशन नहीं देना है, इसके बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा अपने चाचा को नाजायज फायदा पहूँचाने के लिए राशन देकर सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त आरोप के संबंध में किया गया कथन एवं जबाब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

3(4)–अपीलान्ट को प्रपत्र–अ जमा करवाने हेतु बार–बार अवगत करवाने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रपत्र जमा नहीं करवाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में कथन किया कि अपीलान्ट स्वंय ने कार्यालय में उपस्थित होकर प्रपत्र–अ जमा करवाया है, जिसमें श्री बोदसिंह के सरकारी कर्मचारी होने की जानकारी दी गई है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर प्रपत्र–अ जमा नहीं करवाया है, अपीलान्ट ने बचाव में बाद में सोच–विचार कर उक्त कथन किया है। अपीलान्ट द्वारा किस दिनांक को कार्यालय में उपस्थित हुआ एवं किस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा प्रपत्र–अ जमा करवाया है, इस संबंध में कोई उल्लेख अपने जबाब में नहीं किया है, इसलिए अपीलान्ट का यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:16 IST
Reason: SelfAttested

कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा बोदूसिंह सरकारी कर्मचारी होने स्वीकार किया है।

3(5)—अपीलान्ट द्वारा राशन कार्डो में मृतक यूनिट / विवाहित यूनिट हटाने के संबंध में भी बार बार सूचना चाहने पर भी सूचना नहीं भिजवाई। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में कथन किया कि विभाग द्वारा समय समय पर जो सूचनायें मांगी गई वो भी मैने प्रस्तुत की है जिनकी फोटो प्रति संलग्न है। जवाब के बिन्दू संख्या 05 के संबंध में जो फोटो प्रति अप्रार्थी डीलर ने जवाब के साथ पेश की है उसमें अप्रार्थी डीलर के स्वंय के हस्ताक्षर भी नहीं है एंव यह भी वर्णित नहीं है कि उसने कार्यालय में किसको यह जमा करवाई जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीलर द्वारा यह तथ्य पश्चात्‌वर्ती (after thought) तैयार किया गया है, जो कतई माने जाने योग्य है।

3(6)—वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस सूची दस्तावेज पेश की, जिसमें अपीलान्ट ने दिनांक 11.08.2020 को स्वंय के उपस्थित होने बाबत जिला रसद अधिकारी नागौर को संबोधित पत्र दिनांक 11.08.2020 की छाया प्रति प्रस्तुत कर बहस में कथन किया कि अपीलान्ट दिनांक 11.08.2020 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियोजन मार्क कर अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 11.08.2020 अंकित की है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 11.08.2020 में अपीलान्ट डीलर की अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना हीं निर्णय जैर अपील पारित करने का कथन करते हुऐ अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में निवेदन है कि अपीलान्ट दिनांक 11.08.2020 को उपस्थित होने का कथन सही है, परन्तु यह पूर्णतः संभावित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेशिका लिखे जाने के बाद अपीलान्ट उपस्थित हुआ, जिस कारण से अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.08.2020 में अपीलान्ट डीलर की अनुपस्थिति का अंकन किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा स्वंय के अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने बाबत अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष पत्र दिनांक 11.08.2020 प्रस्तुत किया तो अपीलान्ट द्वारा उस समय अपने बचाव में साक्ष्य, सबूत भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था, जो अपीलान्ट ने प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिए अपीलान्ट का कथन कि उसे सुनवाई आदि का अवसर नहीं दिया गया, कतई माने जाने योग्य नहीं है।

3(7)—वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस सूची दस्तावेज पेश की, जिसमें अपीलान्ट ने वाट्सअप चैट दिनांक 11.05.2020, 14.05.2020, 11.07.2020, 17.08.2020 की छाया प्रतियां प्रस्तुत बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रपत्र–अ की सूचना उसके द्वारा वाट्सअप ग्रुप में प्रवर्तन निरीक्षक दिव्या विश्नोई को भेजी गई है। इसलिए प्रपत्र–अ की सूचना नहीं भेजने का अपीलान्ट पर आरोप निराधार होने से अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा वाट्सअप चैट पर प्रपत्र–अ की सूचना दिव्या विश्नोई को भेजना बताया है, जबकि अपीलान्ट को प्रपत्र–अ की सूचना स्वंय के हस्ताक्षर अंकित करते हुए ग्राम विकास अधिकारी व पटवारी से सत्यापित करवाकर एक प्रति जिला रसद कार्यालय नागौर में प्रस्तुत करनी थी, जो अपीलान्ट द्वारा जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा वाट्सअप चेट के द्वारा भेजी गई उक्तानुसार प्रपत्र–अ की सूचना में अपीलान्ट के हस्ताक्षर, ग्राम विकास अधिकारी व पटवारी से सत्यापित होना स्पष्ट नहीं है। अपीलान्ट ने दिनांक 07.08.2020 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उस समय भी अपीलान्ट अपने जबाब के साथ प्रपत्र–अ की सूचना प्रस्तुत कर सकता था, जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की [illegible] राजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ भी अपीलान्ट द्वारा प्रपत्र–अ नियमानुस[illegible]ाई सूचना प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार प्रपत्र–अ [illegible] सूचना न तो तैयार की गई और न ही उसके द्वारा जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत की [illegible] है। इससे अपीलान्ट के विरूद्ध प्रपत्र–अ की सूचना कार्यालय को प्रस्तुत [illegible] पूर्णतया साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:12:16 IST
Reason: Self Attested

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश पर दिव्या विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक नागौर द्वारा दिनांक 04.07.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान चाउ पर पहूंचकर जॉच की जाकर दिनांक 06.07.2020 को जॉच रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस पत्रांक–1237 दिनांक 06.07.2020 को जारी किया, जिस पर अपीलान्ट ने 07.08.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त कारण बताओं नोटिस के संबंध में जबाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया एवं अपीलान्ट द्वारा जमा करवाई गई समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई है। उक्त निर्णय जैर अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने विरूद्ध आरोपों के खण्डन में जबाब प्रस्तुत कर जबाब में जो कथन किये है, वही कथन अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में किये गये है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.08.2020 को स्वंय के अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.08.2020 में अपीलान्ट की अनुपस्थिति का उल्लेख करने तथा प्रपत्र–अ की सूचना वाटस्अप द्वारा देने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा बहस में किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध प्रत्येक आरोप के संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब का उल्लेख करते हुए प्रत्येक आरोप के संबंध में विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध आरोपों को सही मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया है एवं प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा भी अपीलान्ट के विरूद्ध आरोपों के संबंध में बहस में किये गये कथन उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:12:16 IST
Reason: SelfAttested